

भारत में उदारीकरण के बाद महिलाओं की स्थिति : बदलते संदर्भ

निशांत शेखर

शोध-छात्र,

राजनीति विज्ञान,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,

दरभंगा।

आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उत्तरार्द्ध में भी आर्थिक प्रगति और समाज कल्याण के बीच विरोधाभास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पहले सामाजिक सेवाओं और राष्ट्र का कल्याणकारी ढांचा चाहे, वह कितना ही अपर्याप्त हो, आम जन का अधिकार था जिसे उन्होंने काफी मेहनत से हासिल किया था। लेकिन हाल के वर्षों में यह धीरे-धीरे कमतर होता जा रहा है। आज जब रहन-सहन और विकास का सूचकांक काफी नीचे है तब ऐसा होना कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

यहां यह नोट करने लायक है कि भारतीय राज्य सदा ही उच्चवर्ग प्रधान और पितृसत्तात्मक रहा है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज इसमें कई रुचिकर कोण में देखने में आ रहे हैं। आज विश्व बैंक इस बात पर जोर दे रहा है कि ढांचागत समायोजन विकास में भी मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाये जाने का सरकारी दावा उस समय झूठा सिद्ध हो जाता है जब हम कीमतों के सूचकांक पर नजर डालते हैं। साथ ही साथ सरकार, महिला व सूचकांक पर नजर डालते हैं। साथ ही साथ सरकार महिला व जनांदोलनों की शब्दावली को अपहरण करके इसे अपने दावों की हिमायत में इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी गरीबी कम करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं बना रही है। वास्तविकता यह है कि विशालकाय आर्थिक नीतियों से महिलाओं और निर्धन वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निराशाजनक स्थिति उस समय और स्पष्ट दिखती है जब हम गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच व बेरोजगारी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं पहले थोड़ा-बहुत जो काम सामाजिक क्षेत्र में गरीबी हटाओ कार्यक्रम वे ग्रामीण विकास के नाम पर हो रहा था, नई नीतियों के आने से उस खर्च में भी कटौती हो रही है, जिससे स्थिति बदतर हो रही है।¹

उदारीकरण और ढांचागत नीतियों से जिन बदलावों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण एवं उन पर वाद-विवाद चल रहा है उनको निम्न श्रेणियों में रखा गया है: 1. श्रम का लचीलापन, 2. श्रम का अनौपचारिकरण, 3. श्रम का महिलाकरण, 4. निजीकरण

हाल में उत्पादन और श्रम बाजार में जो लचीलापन दिखाई दे रहा है वह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। आमतौर पर पहले उत्पादन के तंत्र में छोटी-छोटी इकाइयां काम करती थीं और उनमें काम का स्पष्ट विभाजन था। बाद में उन पार्ट और पुर्जों को जोड़ने का काम बड़ी इकाई में होता था। इसे "फोर्डिस्ट उत्पादन व्यवस्था" का नाम दिया गया था। आज इनकी जगह छोटी-छोटी विकेंद्रित इकाइयां ले रही हैं। जहां अलग-अलग छोटी इकाइयों में काम होता है और उपठेका देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लचीले श्रम की आवश्यकता है और इससे स्थायी कर्मचारियों के पीस-रेट तथा अंशकालीन एवं अस्थायी कर्मचारी में बदलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे न्यूनतम नेतन और न्यूनतम सुरक्षा लाभ का कानून लागू करना और मुश्किल हो जायेगा। जैसा कि अमृता छाछी का कहना है कि भारत में हमेशा से एक लचीला श्रम बाजार रहा है और अधिकतर श्रमिक इन कानूनों और श्रम बाजार के नियमों के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन वह 'मौसमी' लचीलापन आज के नई आर्थिक नीतियों से उपजे लचीलेपन से भिन्न है।²

'मौसमी' लचीलापन भारतीय श्रम बाजार का एक हिस्सा पहले भी रहा है लेकिन आज चिंता की बात यह है कि यह और ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा है जो काफी संघर्ष करके लचीलेपन से छुटकारा पा चुके थे। इनमें अधिकतर दवाइयां, साबुन, श्रृंगार-प्रसाधन व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं हैं। अब इन्हें या तो असंगठित क्षेत्रों में काम करना पड़ रहा है या फिर बेरोजगार हो गई है।

आर्थिक सुधारों के बाद के काल में अनौपचारिक श्रम का क्षेत्र और बढ़ा है और छाछी और अन्यो के द्वारा दिल्ली व मुंबई के पांच उद्योगों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि आज अधिकांश श्रमिकों को अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं। 43 प्रतिशत कामगारों को ऐसे विभागों में रखा गया था, जहां सब नौकरियां अस्थायी थीं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अधिकांश कामगार ऐसे विभाग में थीं जहां 42 प्रतिशत प्रतिशत सहायक स्टाफ भी अस्थायी था, और 16 प्रतिशत ऐसे विभागों में जहां पूरा स्टाफ अस्थायी था। यहां यह बात याद रखना जरूरी है कि काम के अनौपचारिक मात्र होने से स्थिति ज्यादा खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई स्वरोजगार छोड़कर ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र में जाते हैं जहां ज्यादा पैसा मिलता है तो अनौपचारिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। लेकिन संगठित और नियमित रोजगार छोड़कर असंगठित क्षेत्र में जाना पड़े तो इसे अवनति ही कहा जायेगा।³

यहां यह ध्यान में रखना चाहिए कि अलग-अलग क्षेत्रों में श्रम के अनौपचारिकरण से अलग-अलग असर देखने में आते हैं और हमेशा सामान्यीकरण करना

संभव नहीं है, लेकिन एक रुझान जो स्पष्ट दिखता है— वह है अनौपचारिक श्रम शक्ति का बढ़ता महत्व। कई स्थानों पर स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी बनाया जा रहा है या उन्हें अनौपचारिक श्रमिक बनाकर रखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था का यह अनौपचारिकरण की ओर रुझान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 2001 से 2011 की जनगणना में महिला कामगारों की संख्या काफी बढ़ी है लेकिन ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में यह कामगार हाशिए पर ही हैं। आज इसे माना जा रहा है कि देश में ग्रामीण महिला श्रम का 45 प्रतिशत तथा शहरी महिला, श्रम का 43 प्रतिशत अनौपचारिक है। जबकि पुरुषों के अनौपचारिक श्रम का अनुपात क्रमशः 34.6 और 30 प्रतिशत है। अनौपचारिक महिला कामगारों का प्रतिशत 2005–06 के 39.3 प्रतिशत से 2011–2013 में 4.8 प्रतिशत बढ़ा है।⁴

यहां यह रेखांकित करना प्रासंगिक जान पड़ता है कि उदारीकरण व ढांचागत समायोजन नीतियों से श्रम के महिलाकरण पर बहस शुरू हुई है। इस बहस के मुद्दों पर पहुंचने के पहले यह उन प्रक्रियाओं पर नजर डालना आवश्यक जान पड़ता है जिनके संदर्भ में महिलाकरण शब्द का प्रयोग होता है। गौरतलब है कि श्रम के भूमंडलीय महिलाकरण का तक गाई स्टेडिंग ने दिया। उसने कहा कि 1980 के दशक में काम की अनियमितता और रम का महिलाकरण दोनों ही हुए हैं। इसे भारतीय संदर्भ में लागू करते हुए सरला गोपालन⁵ का कहना है कि महिलाकरण का यह रुझान पूरे भारत और खासकर मुंबई में देखने में आया है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना क्योंकि उनके अनुसार इससे महिलाओं के रोजगार के मौके बढ़े हैं। उनका यह भी मानना है कि उदारीकरण से निर्यात बढ़ेगा और निर्यात उद्योग के श्रमप्रधान होने से महिलाओं के श्रम की मांग बढ़ेगी, चूंकि महिला श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है और महिलाएं ज्यादा आज्ञापरायण होती हैं इसलिए उनके काम से निकाले जाने की संभावनाएं भी कम होंगी। आज के संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि श्रम बाजार में शोषित होना बुरा है लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा है शोषित न होना। चूंकि महिलाओं असंगठित श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है, काम के अनौपचारिक स्वरूप से उन्हें लाभ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं।

लेकिन दूसरी तरफ वैसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तव में श्रम का महिलाकरण हो रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति का सरलीकरण है। उदाहरण के लिए यदि हम देशपांडे द्वारा किये गये 19 उद्योगों के अध्ययन को ध्यान में रखे हैं तो हम पाते हैं कि केवल 7 उद्योगों में 1990 के दशक में महिला श्रमिक बढ़ी थी, 10 में स्थिति ज्यों की त्यों थी और 2 में तो संख्या कम ही हुई। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात जो ध्यान में रखने लायक है वह यह है कि

जब महिला और पुरुष श्रम के प्रतिशत की बात की जाती है तो भी कई बार सही स्थिति सामने नहीं आती है। इस संदर्भ में देशपांडे का कहना है कि 1990 के दशक के बाद पुरुषों के मामले में यह बढ़ोत्तरी 1.2 प्रतिशत हुई और महिलाओं के मामले में 5.9 प्रतिशत, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से यह बढ़ोत्तरी पुरुषों के मामले में 1000 से 1016 और महिलाओं के मामले में 125 से 132 हुई। कुल रोजगार में महिला रोजगारों की संख्या बढ़ी हुई दिखती हैं। 2001 से 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अध्ययन में पुरुषों के रोजगार की दर 52.65 प्रतिशत से घटी जबकि महिलाओं की रोजगार दर 19.77 से बढ़कर 22.69 प्रतिशत हुई।⁶ लेकिन यह बढ़ी दर कई अन्य कारणों से हो सकती है जैसे कि काम की परिभाषा में विस्तार, जनगणना अधिकारी और क्षेत्रीय कर्ककर्ताओं के बेहतर प्रशिक्षण।

दूसरी ओर मुंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में महिलाओं के रोजगार कम हुए हैं। खाद्यान्न, रसायन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विस्तार से महिलाओं के रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। रोजगार के मौके बढ़ने के पक्ष में तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि बड़ी इकाइयां बंद हो रही हैं, लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं या बढ़ेंगे। लेकिन बड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर कम होने का एक बड़ा कारण मशीनीकरण है। यह उद्योग विशेष पर निर्भर करेगा कि वे महिला कामगार चाहते हैं या पुरुष कामगार। वस्त्र उद्योग और तैयार खाद्य माल उद्योगों में महिला कामगारों को और कठिन शारीरिक परिश्रम, रात की ड्यूटी तथा भारी मशीनी उद्योगों में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है।

वास्तविकता तो यह है कि शहरी और निर्माण क्षेत्रों में काम के महिलाकरण होने के कारण महिलाओं के लिए रोजगार बढ़े हुए दिखते जरूरी हैं लेकिन यह अधिकतर निर्यात प्रक्रिया संबंधित उद्योगों में हुआ है, जहां काम की परिस्थितियां काफी कठिन हैं, कम वेतन और रोजगार सुरक्षा नहीं के बराबर है। इनमें अधिकतर गैर शादीशुदा युवा लड़कियों को काफी कम वेतन पर काम पर रखा जाता है। यों भी निर्यात कोई बहुत बड़ा उद्योग अभी नहीं है, महिलाओं के लिए और भी सीमित है। रोहणी हेन्समैन का कहना है कि 1960 और 70 के दशक में भी ऐसे रोजगार उपलब्ध थे, तब भारतीय विदेशी कंपनियों के ठेकेदार की तरह काम करते थे और तब यह नौकरियां पुरुषों को ही मिलती थीं।⁷ इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा हुए हैं।

यहां इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि काम के महिलाकरण थीसिस में कई बार काम के लिंगीय विभाजन को अनदेखा कर दिया जाता है जिसकी वजह से महिलाओं को कुछ खास काम ही मिल पाते हैं। महिलाओं को पुर्जा और पार्ट्स

के जोड़ने तथा पैकेजिंग के काम दिये जाते हैं, उन्हें उद्योगों में निगरानी तथा रख-रखाव के काम पुरुषों को दिये जाते हैं। तकनीक के प्रवेश से स्थिति और बिगड़ी, वहां पुरुषों को बेहतर कामगार माना जाता है। उन उद्योगों में मशीनीकरण के बाद महिलाओं को हटकार पुरुषों को रखा गया क्योंकि माना गया कि पुरुषों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकतर क्षेत्रों में नई तकनीकों के प्रवेश से महिलाओं को काम से हाथ धोना पड़ा है। पहले तंबाकू की कुटाई हाथ से होती थी। मशीनों से कुटाई शुरू होने पर यह काम पुरुषों को सौंपे गये। इसी तरह खाद्यान्न और कई अन्य उद्योगों जैसे प्रॉक्टर और गैबिल में जब मशीनीकरण हुआ तो महिलाओं की जगह पुरुष कामगारों ने ले ली।

उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् 'निजीकरण' पर गौर करना आवश्यक है। निजीकरण ढांचागत कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है। निजीकरण का अर्थ है तमाम उन क्षेत्रों में निजी पूंजी की घुसपैठ जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र माने जाते थे। चूंकि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों (रेलवे, पोस्टल और टेलीग्राफ विभाग, इलेक्ट्रॉनिक, व्यापार और परिवहन आदि) में काफी नौकरियां मिली हुई थीं, इसलिए निजीकरण से उनके लिए रोजगार अवश्य कम होंगे। सार्वजनिक इकाइयों के बंद होने से यों भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं और आगे और कम होने की संभावना है। कई सार्वजनिक इकाइयां ऐसी भी बंद की जा रही हैं जो बीमार नहीं थीं। इससे भारी संख्या में कामगार असंगठित क्षेत्र में ढकेले जा रहे हैं। उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वे असंगठित क्षेत्र में कोई भी काम ले लें या फिर स्वरोजगार एवं घरेलू उद्योग-धंधा करें।

निजीकरण से सार्वजनिक इकाइयां तो बंद होंगी ही श्रम का लचीलापन तथा अनौपचारिकता और बढ़ेगी। कुल मिलाकर स्थिति काफी असुरक्षाजनक है। सरकार का सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं और विकास के बुनियादी ढांचे से अपने को अलग करने से रहन-सहन की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। निजीकरण से सरकार की रही-सही जवाबदेही निश्चित करना भी मुश्किल होगा, श्रम कानूनों में भी अपेक्षाकृत ज्यादा ढील देने से मालिकों के हितों की रक्षा होगी और कामगार मजबूरन यूनियनों के बिना सस्ता श्रम उपलब्ध कराने को बाध्य होंगे।

बदलते संदर्भ

उल्लेखनीय है कि तकनीकी परिवर्तन उन यांत्रिक खोजों को इंगित करता है, जिनसे किसी विशेष काम के होने के तरीके प्रभावित होते हैं। ये तकनीकी खोज सामाजिक संबंधों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी होती है। इसके कारण, जो आविष्कार उत्पादन तकनीकों को प्रभावित करते हैं वही व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को तथा बाजारी शक्तियों के उदय एवं ग्रामीण समाज की संरचनाओं को भी प्रभावित करते हैं।

इस संदर्भ में सरला गोपालन का मानना है कि तीसरी दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अधीनता के दो पहलू हैं। पहला, महिलाएं उन परिवारों की सदस्य होती हैं जिनका भूमि पर मालिकाना हक में, उत्पादन के अन्य साधनों में तथा मजदूरी आय में अंतर होता है। इसलिए उनके काम करने की स्थितियां जमीन और आजीविका के संदर्भ में पारिवारिक आजीविका के रणनीतियों पर निर्भर होती है। भूस्वामित्व तथा कृषि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, विभिन्न ग्रामीण परिवारों और उनमें महिलाओं द्वारा किये जाने वाले काम को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा, ग्रामीण परिवार, समाना पर आधारित सामाजिक इकाइयां नहीं होता है, बल्कि ये लिंग तथा उम्र के प्रभुत्व और अधीनता के संबंधी पर टिके सामाजिक ढांचे हैं।⁸

महिलाओं की अधीनता सामान्य तौर पर श्रम के लिंग आधारित विभाजन द्वारा प्रकट होती है (आमतौर पर महिलाएं भोजन बनाने, ईंधन और पानी इकट्ठा करने, बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसके अलावा घर के बाहर जो काम वह कर सकती है उसके लिए भी वह जिम्मेदार होती हैं), बच्चों की देखभाल तथा पालन पोषण करने की महिलाओं की क्षमता पर नियंत्रण, उनकी शारीरिक गतिविधियों (जैसे-पर्दा) पर लगाई गई पाबंदियां और प्रायः महिला हीनता की वैचारिक समझ में उनकी अधीनता प्रकट होती है। अधीनता के विशेष यप ग्रामीण परिवारों के अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग तरह के होते हैं।

गरीब किसान तथा खेतिहर मजदूरों के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं की स्थिति तथा तकनीकी परिवर्तन का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उपरोक्त दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की जरूरत है। हरित क्रांति शुरू होने के पहले तक दक्षिण एशिया में भूमिहीन और गरीब किसान परिवार की महिलाओं ने अपने परिवारों की आजीविका और कल्याण के लिए अपने सामान्य पारिवारिक कर्तव्यों और पारिवारिक आयों में योगदान के जरिए बहुमूल्य भूमिका अदा करती रही। लेकिन तकनीकी परिवर्तन ने उनके आय अर्जित करने और परिवार के निर्वहन की उनकी क्षमता पर गंभीर अतिक्रमण किया है। अधिकतर भूमिहीन महिलाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और उनकी आय अर्जित करने की क्षमता सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा सूखी जमीन और वर्षों पर आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में ज्यादा बुरी तरह नष्ट हुई है।⁹

महिला कृषकों की स्थितियाँ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या महिलाओं ने श्रम उत्पादकता और आय वृद्धि के नये अवसरों की सुविधा हासिल की है। बड़े भू-स्वामियों और जोतदार परिवारों की महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि छोटे जोतदार परिवारों की खेतिहर महिलाओं की

जिंदगी में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया है। या तो कुछ खास कामों को समाप्त करके या फिर महिलाओं को हाशिए पर पड़े कामों की ओर धकेलकर इस परिवर्तन ने उनके विकल्पों को सीमित कर दिया है। इस स्तर पर पुरुष कृषक उत्पादक किस्म की तकनीकी के इस्तेमाल ने आय के स्तर को सुधारे बिना महिला और पुरुष दोनों ही तरह के अस्थायी श्रमिकों के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है।¹⁰

व्यापक पैमाने के ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा लाये गये संगठनात्मक और संस्थागत ढांचे परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बने। कृषि की पद्धति में व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी एजेंसियों से सीधा संपर्क शामिल है। इन सब पर पुरुषों का आधिपत्य है, महिलाओं के लिये तो ये नये हैं। दरअसल, कुछ निश्चित सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण प्रायः इन संस्थाओं में महिलाओं का पुरुषों से संपर्क और आमना-सामना सीमित रहा है। महिलाओं को उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी और उनके कामों के बोझ को कम करने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले खेती के कामों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी तौर पर बहुत कम कोशिश की गई है आम तौर पर पुरुष ही नई तकनीक और नये कौशल से लाभान्वित हुए हैं। सांस्कृतिक मूल्य व बंधन भूमि जैसे अन्य संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण को सीमित करते हैं, और उन्हें और अधिक संसाधनों की मांग करने से रोकते हैं।

इसके साथ-साथ वे किसान जो खेती में नई तकनीक के प्रयोग से अपनी आय और उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत को महसूस करते थे उन्होंने विस्तार सेवाओं को शीघ्र हासिल करने का प्रयास किया जिससे कृषि के क्षेत्र में नये संसाधन, कौशल, सूचना और तकनीक के इस्तेमाल में मदद मिली। भारत के कुछेक राज्यों में जमीन पुनर्स्थापन योजनाओं को इस तरह से लागू किया गया कि जमीनों की मिल्कियत परिवार के पुरुष मुखिया के हाथों में गई। महिलाओं द्वारा संचालित परिवारों की स्थिति जमीन पुनर्स्थापन के मामले में पहले से कहीं अधिक खराब थी, हालांकि हरित क्रांति के पश्चात् उन परिवारों ने अब आर्थिक और भौतिक साधन, अच्छे घर और केंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवाएं तथा बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा की सुविधा प्राप्त की है।¹¹

निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मशीनीकरण के प्रथम चरण में महिलाओं को बेदखल कर दिया गया, हालांकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाएं इससे अलग-अलग तरह से प्रभावित हुईं। कुछ के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई तो कुछ के लिए कमी। रोजगार में कमी के महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े। चाहे उसने महिलाओं के लिए

खाली समय को बढ़ाया है या उन रोजगारों का नुकसान किया जो कुछ महिलाओं के जीवन के लिए अति जरूरी होते हैं।

यहां यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह श्रम शक्ति से स्वैच्छिक तरीके से बाहर रहने का मामला है या जबर्दस्ती विस्थापन का। मशीनीकरण का तब सकारात्मक प्रभाव हो सकता है जब यह महिलाओं के कृषि कार्य को तकनीक के इस्तेमाल से आसान करता हो या जरूरतमंद महिला श्रमिकों के लिए रोजगार में बढ़ोत्तरी करता हो, और नकारात्मक तब होता है जब जरूरतमंद महिला श्रमिकों के रोजगार के अवसरों को कम करता है। हालांकि यह चिन्हित किया गया है कि आंशिक मशीनीकरण के जरिये विकसित कृषि तकनीक न हर तरह की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, चाहे उच्च या मध्य जातियों के उच्च सामाजिक-आर्थिक तबके की महिला कृषकों को या जिनकी काय का सतर ऊँचा है और जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, उनका कृषि कार्य से मुक्त करके, दूसरी तरफ उन महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाकर जो सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ी जातियों तथा दलित तबके से थी और जिनका संबंध न्यूनतम आय समूहों से था और और जिनके पास या तो कम उपजाऊ/गैर आर्थिक जमीनें थीं, उन्हें कृषि श्रमिकों के बतौर काम करने के लिए मजबूर किया गया।

सन्दर्भ सूची:-

1. कमला वसीन, 'अंडर स्टैंडिंग जेंडर, काली फॉल वुमेन, न्यू दिल्ली, 2000, पृ0 226-229.
2. सच्चिदानन्द सिन्हा, वुमेन राईट्स : मिथ एण्ड रियलिटी, (1984), पृ0 55-56.
3. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, वॉल्यूम-1, भाग-1, 2016, पृ0 53-55.
4. सरला गोपालन वुमेन एण्ड इंप्लायमेंट इन इंडिया, हर आनंद पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2014, पृ0 43-49.
5. माधेश्वरन एण्ड संगीता सर्राफ, "एजुकेशन, इंप्लायमेंट एण्ड अर्निंग फॉर साईटिफिक एण्ड टेक्निकल वर्क्स फॉर इंडिया: जेंडर इसूज", द इंडियन जर्नल लेबर इकोनॉमिक, नई दिल्ली, वॉल्यूम- 43, नं-1, 2000, पृ0 121-137.
6. सरला गोपालन (2014), पृ0 53-56
7. प्रवीण विसारिया एण्ड राकेश वसंत, नन एग्रीकल्चरल इंप्लायमेंट इन इंडिया, सेज पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली, 2009, पृ0 85-88.
8. उपरोक्त.

9. वीणा अग्रवाल, ए फिल्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एण्ड लैंड राईट्स इन साउथ एशिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, 2006, पृ0 113–119.
10. उपरोक्त.
11. अमरेश दुबे, “वर्क फोर्स पार्टीशिपेशन ऑफ वूमेन इन रूरल इंडिया” द इंडियन जरनल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम–47, नं. 4, 2004, पृ0 748.

XXXXX